न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 31/2020/ आवेदन 251–ए

1. नारायण राम पुत्र मंगलाराम
2. बाबूलाल पुत्र दुलाराम
3. बालूराम पुत्र डालूराम
4. सोहनलाल पुत्र जोधाराम
5. गोमाराम पुत्र मंगलाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम उमाडा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. अमनदीप पुत्र जसवंत सिंह
2. अमित सिंह पुत्र नारायण सिंह
3. अर्जुन सिंह पुत्र लादू सिंह
4. कमल कॅवर पत्नि जसवंत सिंह
5. गंगा सिंह पुत्र भगवत सिंह
6. गेंद कंवर पत्नि भगवत सिंह
7. गिरधारी सिंह पुत्र चन्द्र सिंह
8. गोपाल सिंह पुत्र गुमान सिंह
9. घनश्यामसिंह पुत्र गुमानसिंह
10. चतरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह
11. दीपसिंह पुत्र नारायण सिंह
12. नंदसिंह पुत्र किशोरसिंह
13. बजरंगसिंह पुत्र भगवतसिंह
14. बुद्वसिंह पुत्र भगवतसिंह
15. बलबीरसिंह पुत्र नारायणसिंह
16. भंवरसिंह पुत्र किशोरसिंह
17. मदनसिंह पुत्र लादूसिंह
18. मालमसिंह पुत्र किशोरसिंह
19. मोहन सिंह पुत्र लादूसिंह
20. रूघनाथ सिंह पुत्र किशोर सिंह
21. रणजीत सिंह पुत्र लादू सिंह
22. रामसिंह पुत्र किशोर सिंह

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

23. रिछपाल सिंह पुत्र गुमान सिंह
24. शिवराज सिंह पुत्र गुमान सिंह
25. सरदार कॅवर पत्नि किशोर सिंह
26. सांवत सिंह पुत्र गुमान सिंह
27. फूल कॅवर पत्नि लादू सिंह
28. भगवत सिंह पुत्र डूँग सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम उमाडा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
29. मैनेजर, भूमि विकास बैंक शाखा दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
30. मैनेजर, एस. बी. आई. बैंक शाखा दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
31. मैनेजर, बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
32. मैनेजर, भूमि विकास बैक शाखा दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
33. पटवारी, पटवार हल्का चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
34. गिरदावर हल्का, करड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
35. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत अप्रार्थीगण संख्या 1, 4, 9, 17, व 21 की ओर से।
3. शेष अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य **दिनांक – 14.06.2022**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम उमाड़ा पटवार हल्का चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के भूमि खसरा नं. 234 व 238 (जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल संलग्न है) जिस खातेदार की भूमि में से आवेदक द्वारा रास्ता चाहा गया है, उसका विवरणः– (क) खातेदार का नाम :– उपरोक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 (ख) खातेदार का पताः– उपरोक्तानुसार। (ग) आवेदित रास्ते की भूमि ग्राम उमाड़ा पटवार हल्का उमाड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। (घ) आवेदित रास्ते भूमि ख.

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

नं. 243 के उत्तरी – पश्चिमी कोने से उतर से दक्षिण 5 मीटर चौड़ा होकर आगे भूमि खसरा नम्बर 233/542 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ा होकर आगे पूर्व दिशा की ओर मुख्य आम रास्ता में मिलता हुआ वांछित रास्ता (जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल संलग्न है)। उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण को अपने उपरोक्त वर्णित खेत में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 243 के उत्तरी – पश्चिमी कोने से उतर से दक्षिण 5 मीटर चौड़ा होकर आगे भूमि खसरा नम्बर 233/542 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ा होकर आगे पूर्व दिशा की ओर मुख्य आम रास्ता में मिलता हुआ चाहते है, चाहे गये रास्ते का अंकन संलग्न नक्शा ट्रेस में मार्क ए, बी, सी, से दर्शाया गया है, चाहते है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमियों में आने जाने के लिए इनके इनके पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, उक्त वर्णित कृषि भूमिया एक ही पटवार हल्का क्षेत्र में है, प्रार्थीगण अपने खातेदारी में पहुचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमियों में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है, उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के उपयोग उपभोग करने से पूर्णतया वंचित हो जायेगे यह प्रार्थना पत्र हमारी खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग हेतु प्रस्तुत न करते हुए खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग के लिए पहुचने बाबत वांछनीय एकमात्र रास्ते के सम्बन्ध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहे है, एवं इस्तदुआ प्रस्तुत कर रहे है, कि हमारी खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं 234 व 238 वाकै ग्राम उमाड़ा पटवार हल्का उमाड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के उपयोग–उपभोग हेतु वांछित एकमात्र रास्ता जो ख.नं. 243 के उत्तरी – पश्चिमी कोने से उतर से दक्षिण 5 मीटर चौड़ा होकर आगे भूमि खसरा नम्बर 233/542 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ा होकर आगे पूर्व दिशा की ओर मुख्य आम रास्ता में मिलता हुआ रास्ता चाहते है।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 5 ता 8, 10 ता 16, 18 ता 20, 22 ता 35 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1, 4, 9, 17 व 21 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

वकील सुरेन्द्रसिंह शेखावत जबाब आवेदन पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 243 की पूर्वी सीमा पर एवं खसरा नम्बर 233/542 की पूर्वी सीव पर कटाणी रास्ता मौके पर काफी वर्षो से बन्द है। उक्त कटाणी रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 229 गैर मुमकिन सिवाय चक दर्ज है, जो ग्राम उमाडा से चल कर ग्राम सुन्दारिया तक जाता था। जो ग्राम सुन्दारिया की तरफ बन्द किया हुआ है। जिसकी पुष्टी पटवारी रिपोर्ट दिनांक 13.07.2021 से भली–भांति हो रही है, इसलिए मौके पर कटान का रास्ता भी बन्द पडा है तो अप्रार्थीगण से उसकी खातेदारी भूमि जिसका रकबा मौके पर पहले से ही कम है, उसमें नया रास्ता कायम करना कतई गलत एवं विधि विरूद्व है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 234, 238 की उत्तरी सींव पर खसरा नम्बर 230, 231, 232 प्रार्थीगण की परिवारजन भंवरलाल, गोपीराम, सेडूराम, मेवाराम पुत्रगण नंदारा, छीतर, बन्ना, जीवणराम पुत्रगण भैरूराम का खेत है। प्रार्थीगण और इनकी उत्तरी सींव पर रहने वाले काश्तकारों के पूर्वज एक ही थे। कृषि भूमियां उनके पूर्वजों की शामलाती भूमियां सदैव से ही रही है। वर्तमान में भी प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारीशुदा भूमियों में आवागमन इन उत्तरी दिशा की सींवा जोड पडोसी खातेदार के खेत के बीच में से करीब 15 फीट चौडा उत्तर दक्षिण रास्ता मौके पर चालू हालत में मौजूद है। उक्त रास्ते की दूरी भी प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते से काफी कम है, इसलिए प्रार्थीगण प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता उसके खेत की उत्तरी सींव जोड पडौसी खातेदार के खेत खसरा नम्बर 230, 231, 232 में से उत्तर, दक्षिण ग्राम उमाडा चारागाह से ग्राम धोलासरी तक जाने वाली ग्रेवल सडक तक कायम किया जाना न्यायसंगत है।

3. तहसीलदार दांतारामगढ से रिपोर्ट मंगवाई गयी। प्राप्त रिपोर्ट में अंकन किया कि वर्तमान में वादीगण नारायण बाबूलाल वगै. स्वंय की खातेदारी भूमि के ख. नं. 238 की पूर्व की ओर अवस्थित प्रतिवादीगण के ख.नं. 243 के बीच में से होकर फसल बुवाई की गई। जो कि वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था बन्द है। प्रार्थी (वादीगण के) खसरा नम्बर 229 गै.मु रास्ता सिवाय चक है का कटाणी रास्ता गुजरता है। जो वर्तमान में बन्द है। ख.नं. 229 कटानी रास्ते की पश्चिम

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

दिशा की ओर 140 × 4 = 560 वर्गमीटर ख.नं. 233/542 की दक्षिण दिशा (सेड) के सहारे–सहारे एवं खसरा नम्बर 243 की पश्चिम सेड के सहारे–सहारे 20 × 4 = 80 वर्गमीटर रास्ता दिये जाने पर वादीगण को आमानी रहेगी। आवेदन पत्र में भी वादी यही लेना चाहता है। वादीगण को रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वादीगण के आज दिनांक को वैकल्पिक रास्ता की व्यवस्था नही है। वादीगण व वादीगण के पुत्र मौके पर उपस्थित मिले, जिन्होने रास्ते के बदले निकटतम खातेदार को रास्ते में काम आने वाली भूमि के बदले स्वयं के खेत में भूमि देना स्वीकार किया। प्रतिवादी मौके पर नहीं मिले। रास्ते के रूप में काम में आने वाली भूमि का नाप 140 × 4 = 560 वर्गमीटर एवं 20 × 4 = 80 वर्गमीटर कुल भूमि 640 वर्गमीटर है। डीएलसी दर 379388 है। जिसके अनुसार रास्ते की कीमत 24280 रू.है एवं दुगुनी कीमत 48560 रू.है। आवेदन अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. बहस विद्वान अधिवक्ताओं पर मनन किया एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, जबाब आवेदन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की मंशा रास्ते की आत्यंधिक आवश्यकता होने की स्थिति में सबसे नजदीकी रिकार्डेड रास्ते से आवेदक काश्तगार को रास्ता दिये जाने की मंशा रखती है। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदक को रास्ते की आत्यंकिक आवश्यकता है। **अतः प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 234 व 238 के निकटतम खसरा नम्बर 243 व खसरा नम्बर 233/542 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ख.नं. 229 कटानी रास्ते की पश्चिम दिशा की ओर ख.नं. 233/542 की दक्षिण दिशा (सेड) के सहारे–सहारे 140 × 4 = 560 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 243 की पश्चिम सेड के सहारे–सहारे 20 × 4 = 80 वर्गमीटर रास्ता जिसकी डी.एल.सी. दर 24280 रू से दुगुनी कीमत 48560 रूपये अर्थात कुल**

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

640 वर्गमीटर रास्ता प्रार्थीगण को नियमानुसार दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 243 व 233/542 में से 640 वर्ग मीटर रास्ता आवागमन व उपयोग–उपभोग हेतु संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता के रूप में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दांतारामगढ से प्राप्त डीएलसी दर के मुताबिक उक्त रास्ते की डीएलसी दर की दुगुनी दर सें कीमत 48560/रूपये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 के खातेदारों को दिया जाना है। अतः तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त राशि प्रार्थीगण सें प्राप्त कर राजकोष में जमा होने के पश्चात उक्त रास्ते को मौके पर नपती की जाकर सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशादेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/6/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ